न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00122

रामप्रसाद आत्मज श्री देवीराम जाति मीणा निवासी लाखसनीजा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. किशनगोपाल आत्मज श्री देवीराम जाति मीणा ।
2. मदनपाल आत्मज श्री देवीराम जाति मीणा ।
3. रघुवीर आत्मज श्री देवीराम जाति मीणा निवासीगण लाखसनीजा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामरतन मीणा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 02.08.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.09.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम लाखसनीजा तहसील दीगोद में कुल 09 किता की रकबा 7.36 हैकटर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा तथा अप्रार्थी कम 1 लगायत 3 का 3/4 हिस्सा और प्रार्थी 1/4 हिस्से की भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है । उक्त भूमि का मौके पर पक्षकारान के मध्य आपसी पारिवारिक विभाजन हो रहा है जिसके अनुसार वे अपने–अपने हिस्से की आराजी

पर काबिज काश्त हैं । अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के मन में बदनियति आ बई है और उक्त भूमि को लेकर प्रार्थी के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत करने पर आमादा हैं । अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का बिना विभाजन करवाये रहन, बेचान एवं अन्यथा खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी को अथवा उसके किसी हिस्से को रहन, बेचान एवं अन्तरण नहीं करें । प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.09.2020 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.09.2020 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के संयुक्त खाते में दर्ज है जिसमें प्रार्थी अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट का 3/4 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य आपसी पारिवारिक सहमति से विभाजन हो रखा है परन्तु रेस्पोडेन्ट के मन में बदयान्ति आ गई है और वे प्रार्थी अपीलान्ट के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने लगे हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.09.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा रेस्पोडेन्टगण के खिलाफ धारा 53 एवं 188 का वाद प्रस्तुत किया गया है । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है और कथन किया कि ग्राम लाखसनीजा तहसील दीगोद में कुल 09 किता की 7.37 हैक्टर आराजी स्थित है । यह आराजी प्रार्थी और अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में है जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा और अप्रार्थीगण का 3/4 हिस्सा है । मौके पर विभाजन हो चुका है । पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं । अप्रार्थी जबरन प्रार्थी के कब्जे में दखलन्दाजी करने की कोशिश करते हैं । अतः उनको अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे । परीक्षण न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । आपसी सहमति से बंटवारे के अनुसार पक्षकारान काबिज हैं । रेस्पोडेन्ट के मन में बदयान्ति आ गई है इस कारण वो अपीलान्ट के कब्जे में दखलन्दाजी करते हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में है फिर भी प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय

दिनांक 03.09.2020 निरस्त फरमाया जावे और अपीलान्ट के हिस्से की सीमा तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के संयुक्त खाते की आराजी है जिसका विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । सहखातेदारी की आराजी में एक सहखातेदार के पक्ष में दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । परीक्षण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.09.2020 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जिसका जवाब अप्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया ।

10. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 है जिसके अनुसार ग्राम लाखसनीजा में कुल 03 किता की 1.65 हैक्टर आराजी देवीलाल पुत्र भंवर लाल और मदन पाल पुत्र देवीलाल के संयुक्त खाते में दर्ज है इसमें नामान्तरकरण संख्या 85 को नोट अंकित है जिसके अनुसार देवीलाल के स्थान रामप्रसाद, किशनगोपाल, मदनलाल और रघुवीर का नाम दर्ज किया गया है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2071 के अनुसार ग्राम लाखसनीजा में कुल 09 किता की 7.37 हैक्टर आराजी रामप्रसाद, किशनगोपाल, मदनपाल एवं रघुवीर के संयुक्त खाते में दर्ज है । इस प्रकार पत्रावली पर जो रिकॉर्ड पेश किया गया है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते में दर्ज है । पेश किये गये राजस्व रिकॉर्ड में अनुसार अभी तक वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । अपीलान्ट संयुक्त खाते की आराजी में से 04 किता की 1.84 हैक्टर का विभाजन के फलस्वरूप स्वयं को प्राप्त होना बाताते हैं परन्तु इस प्रकार का कोई बंटवारा राजस्व रिकॉर्ड से प्रमाणित नहीं है । राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के संयुक्त खाते में दर्ज है और संयुक्त खाते की आराजी में एक सहखातेदार के पक्ष में दूसरे सहखातेदार के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । तद्नुसार प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में तय नहीं पाया जाता है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र विधि सम्मत रूप से खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.09.2020 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 02.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

2/8/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा